[The Deputy Chairman]

Members here want to make their contribution.

THE SICK INDUSTRIAL COMPANIES (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT BILL, 1992—Contd.

[The Vice-Chairman (Shri M. A. Baby) in the Chair]

THE VICE-CHAIRMAN (Shri M. A. Baby): Members, please co-operate. (*Interruptions*) We shall now take up the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Amendment Bill, 1992—Shri Digvijay Singh.

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो बिल वित्त राज्य मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है, वह बिल आम समय में इस सदन के लिए और हमारे लिए मान्य होता और हम शायद इस पर कोई ज्यादा ऐतराज नहीं करते, लेकिन जिस माहौल में यह बिल रखा जा रहा है या पूरे देश में और देश के बाहर यह फिजां बनाई गई है कि शायद हिन्दुस्तान में अब पब्लिक सैक्टर्स का, सरकारी उपक्रमों का कोई भविष्य नहीं बचा है, वैसी हालत में इस बिल के बारे में मुझे थोड़ी चिन्ता होती है कि अब तक "बाइफर" का काम सिर्फ था कि जो प्राइवेट सेक्टर के उद्योग थे उनकी देखभाल करना, लेकिन अब इस बिल के तहत पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग के काम को भी देखने का जिम्मा उसे सौंपा गया है और यह बात तब और भी गंभीर हो जाती है जब रोजाना हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां पब्लिक सेक्टर का भविष्य अधर में लटक रहा है। कल के अखबार में बड़ी लम्बी खबर आई कि एच०ई०सी० का भविष्य अधर में लटक रहा है। एच० ई०सी० का जब जिक्र होता है तो मुझे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का यह बयान याद आता है जो उन्होंने इसका उद्घाटन करते समय कहा था कि "यह हिन्दुस्तान का वह मंदिर है जहां सारे देश के श्रमिक, सारे देश के उद्योगपति, जहां सारा देश जाकर पूजा करेगा।" हिन्दुस्तान का सबसे महान मंदिर बताने वाले भारत के प्रथम प्रधान मंत्री के उस उपक्रम का आज हाल यह हो रहा है कि अखबारों में रोजाना छप रहा है कि उसका भविष्य अधर में लटका हुआ है। और यह बात सच्चाई में भी है। आज एच०ई०सी० को जाकर देखें हम और आप, इस सदन में एक लम्बी बहस उस पर हो चुकी है कि एच०ई० सी० का भविष्य क्या है—हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का ? इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा, उनसे अर्ज चाहूंगा कि आप किस उद्देश्य से यह बिल लेकर इस सदन में आए हैं ? "बाइफर" का 1985 से 1992 तक के पिछले 7 सालों के कामों का अगर आप ब्यौरा देखें तो आपको अंदाजा लग सकता है कि वह ब्यौरा कैसा रहा है ? आखिर उद्योग किस तरह से इस देश में बीमार होते गए ? कौन लोग उसके जिम्मेदार हैं ? और अगर आपने "बाइफर" को बनाया, बहुत से लोग कहते हैं कि "बाइफर" नर्सिंग होम हो गया है, बहुत से लोग कहते हैं कि 'बाइफर" यहां के उद्योगपतियों के लिए एक अच्छा नर्सिंग होम तैयार किया गया है जहां उन्हें राहत दी जाती है। लेकिन "बाइफर" बनाते समय लोगों के मन में एक ही मंशा थी कि जो उद्योग किसी वजह से पूंजीपति के चलते या वहां पर किसी श्रमिक आन्दोलन के चलते या वहां पर कोई और माहौल बन गया कि जिसके चलते वे उद्योग बर्बाद हो गए, तो लोगों का फिर से उस उद्योग के प्रति विश्वास स्थापित करने के लिए सरकार ध्यान देगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से "बाइफर" के बारे में मैं एक ही बात देखता हूं, एक ही बात

सोचता हूं कि 'बाइफर' को बार-बार इस देश के सरकारी तंत्र के द्वारा, इस देश के जो लोग हुकमरान रहे उनके द्वारा, एक ऐसी फिजां में "बाइफर" को घेरा गया जहां "बाइफर" मर्ज का इलाज करने का नहीं रहा, बल्कि जो यूनिटें वहां जा रही हैं, जिन उद्योगों को वहां भेजा जा रहा है यह देखने के लिए कि उनको फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है या नहीं, वे उद्योग करीब-करीब "बाइफर" के पास जाकर या तो रुक जाते हैं या अगर बहुत छान-बीन और पैरवी या कोशिश हुई तो कुछ उद्योगों को जीवित करने का प्रयास किया जाता है । मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं मंत्री जी को कि "बाइफर" बनाते समय एक ही मंशा थी कि मरीज कितना भी तंग क्यों न हो मरीज की हालत कितनी भी खराब क्यों न हो "बाइफर" वह डाक्टर बनाने की कोशिश की गई थी जहां पर, विश्वास होने हुए भी कि कैंसर का इलाज कोई है या नहीं है ...

बी०आई०एफ०आर० वह डाक्टर बनाने की कोशिश की गई थी जहां यह विश्वास होता है कि कैंसर का कोई इलाज है या नहीं है, फिर भी एक विश्वास और दिलासा लोगों के मन में दिलाने का काम वह डाक्टर करे कि मरीज को हम अच्छा कर सकेंगे । लेकिन बी०आई०एफ०आर० अपनी उस भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाया है । जो लोग बी०आई०एफ०आर० में हैं, वह एक तरह से सरकारी कर्मचारियों का यतीमखाना बनता जा रहा है । जो सरकारी कर्मचारी दिल्ली से बाहर नहीं जाता उसको बी०आई०एफ०आर० में रख दिया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे जरा उन लोगों के नाम बताएं जो बी०आई०एफ०आर० में है । क्या भारत सरकार के वे सचिव जो दिल्ली में रहना चाहते हैं, मैं उनका नाम लेकर भी गिना सकता हूं तीन सचिवों को जिनको भारत सरकार ने उनके पुराने कैडर में भेजने की कोशिश की, परंतु वह लोग अपने पुराने कैडर में दूसरे सूबों में, राज्यों में जाने के बजाय बी०आई० एफ०आर० में अपने को शरणागत कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह से दिल्ली में रहने की उनकी गुंजाइश हो जाए ... (व्यवधान) अब यतीमखाने तो उससे भी बड़ा शब्द है । तो यह जो दया के नाम के पदाधिकारी हैं, उनको बी०आई०एफ० आर० में न रखा जाए । बी०आई०एफ० आर० बनाने के पीछे जो मंशा थी, उस मंशा को पूरा किया जाए । उन लोगों को आप बी०आई०एफ०आर० में ले आएं, सचमुच में जिनका वास्ता, जिनका दिलो-दिमाग सही हालत में भारत के बीमार उद्योगों को पुनः जीवित करने में आस्था रखता है । इसलिए ऐसे पदाधिकारी, मैं यह नहीं कहता कि आप पदाधिकारी मत रखिए, आपने पिछली बार वह पदाधिकारी जिनको चेयरमेन बनाया था, वह एक काबिल आदमी थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, मेरा कोई विरोध ऐसे लोगों से नहीं है । अभी मैंने देखा कि पिछले दिनों बी०आई०एफ०आर० में जिन दो-तीन लोगों को लाया गया, भारत सरकार के तीन-तीन सचिवों को वापिस पेरेंट कैडर में भेजा गया, उनको कहा कि आप बी० आई०एफ०आर० में रहिए, आप देश के बीमार उद्योगों को देखिए । तो वह तो खुद बीमार है और जो देश की सेवा के साथ सही सलूकात नहीं कर पा रहे हैं, तो वह बी०आई०एफ०आर० का क्या इलाज करेंगे मैं इसलिए माननीय मंत्री जी, यह गंभीर मुद्दा है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं । मैं बार-बार यही कह रहा हूं, हिचक यह है कि जिस माहौल में आप यह बिल इंटरोड्यूस कर रहे हैं, रोजाना अखबारों में निकाला जा रहा है, वर्ल्ड बैंक, आई० एम०एफ० के द्वारा कहा जा रहा है कि हिन्दुस्तान के तमाम पब्लिक अंडरटेकिंग को जो घाटे में चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाय । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप पब्लिक अंडरटेकिंस को इसमें शामिल करेंगे तो यह तो निश्चित रूप से बंद हो जाएगा । कोई बजट एलोकेशन है बी० आई० एफ० आर० के लिए । बी०आई०एफ०आर० के लिए कोई पैसा आप निश्चित करते हैं—हजार-करोड़, दो हजार करोड़, पांच हजार करोड़ उद्योगों को जीवित करने के लिए रखा जाएगा । अगर यह व्यवस्था नहीं है तो फिर

[श्री दिगविजय सिंह]

हिसाब से पब्लिक अंडरटेकिंग्स जिसमें हिन्दुस्तान के लोगों के अरमानों का लाखों, करोड़ों रुपया लगा हुआ है, उन पैसों के माध्यम से आप पब्लिक अंडरटेकिंग्स को कैसे जिन्दा कर पाएंगे । इसलिए आप पहली बात तो यह तय करें कि आज बजट एलोकेशन में बी०आई०एफ०आर० को कितने पैसे देते हैं । अभी तो आपने रहमो-करम पर छोड़ रखा है । कहीं से कोई पैसा लाकर आप दे देते हैं । कौन सा तरीका आप अपनाना चाहते हैं । मैं मंत्री जी, आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं कि पब्लिक अंटरटेकिंग्स चले या नहीं चले, उसको जिन्दा रखो । आज देश की जो समस्या है उसमें मैं इस बात का कायल हूं कि जो संस्था चल ही नहीं सकती उसको चलाकर आप क्या कर पाएंगे । लेकिन जिस तरीके से आप इस बात को सोचने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, उस तरीके से हमारा विश्वास इस बिल में नहीं बनता है । इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बजट का एलोकेशन करो, आप यह तय करो कि यह बजट के पैसे पब्लिक अंडरटेकिंग्स को दिए जाएंगे ।

दूसरे, मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि श्रमिक संगठनों का सहयोग आपके इस काम के लिए बहुत जरूरी चीज है । अगर आप यह मौका श्रमिक संगठनों को भी दें, या जो उद्योग तो बंद हो गए । अगर आप चाहें तो भारत सरकार बी०आई०एफ०आर०के माध्यम से यह पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इस बात का आश्वासन दें, गारंटी दें कि इस संस्था को आगे चलाने का काम आप करेंगे । लेकिन अगर आप सिर्फ बी० आई०एफ०आर० के अंदर पब्लिक अंडरटेकिंग्स को रखकर बंद करने की एक साजिश बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि श्रमिक सगठनों का सहयोग और विश्वास आपको प्राप्त हो पाएगा ? इस देश में आज जो उद्योग बंद है, उनके करीब पांच लाख मजदूर इस देश में सड़कों पर घूम रहे हैं । आपने और भी कई नए तरीके अपनाए हैं । उन तरीकों से आप उद्योगों को कैसे चलाएंगे इस बात का कोई स्पष्टीकरण आपकी तरफ से आना चाहिए । मैं आपसे यह भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक बात और तय करो कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स के साथ जो माहौल है, बार-बार मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि एक माहौल इस देश के अंदर ऐसा बनाया गया ।

सरकार उस दिशा में कितना काम कर रही है, मैं नहीं जानता लेकिन सरकार की तरफ से उस माहौल को प्रोत्साहन दिया गया कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स का भविष्य इस देश में कुछ भी नहीं बनता । मंत्री यहां संसद में जोर से बोल देते हैं लेकिन बाहर घूम घूम कर इस बात का प्रचार किया जाता है कि जो दबाव अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश का और विश्व बैंक का सरकार पर पड़ रहा है, उससे मुझे लगता है कि यह कदम सही दिशा में नहीं उठाया जा रहा है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसा माहौल बनाएं, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र के सामने इस बात को तय करें और तय करके इस बात को सिद्ध भी करें कि सचमुच दिल से, मन से उन सरकारी उपक्रमों को फिर से जिन्दा करने का काम करेगी और इस देश में जो माहौल बना है उस को समाप्त करने का प्रयास करेंगे । **(समय की घंटी)**

इसलिए मंत्री जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी मंशा साफ है या नहीं ? अगर मंशा साफ है तो हमें आपके इस बिल पर कोई ऐतराज नहीं है । आप इस बिल को इस नाते से यहां लाए हैं कि जो बीमार उद्योग हैं उनको ठीक करने के लिए अपनी तरफ से पहल करेंगे और यह मैं समझता हूं कि स्वागत योग्य है । लेकन मैं आपको यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि संसद में तो यह बिल पास हो जाएगा लेकिन जो लाखों मजदूर हैं, करोड़ों लोग हैं जिनका संबंध इससे जुड़ा हुआ है, वह लोग इस तरह से सड़कों पर घूमते रहेंगे, सड़कों पर भूखों मरने के लिए

फिरेंगे तो इस बिल की उपयोगिता न देश के लिए होगी, न संसद के लिए होगी, न उद्योगों के लिए होगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ और इस शंका और चेतावनी के साथ आपके इस बिल के बारे में मैं सच्ची जानकारी चाहूंगा । धन्यवाद ।

डा० अबरार अहमद (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह जो बिल प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जिन बीमार उद्योगों की हम बात यहां करते है अगर वे उद्योग वास्तव में स्वत: ही बीमार हों तो बात वाजिब है और उसका उपचार और इलाज किया जा सकता है । लेकिन जहां उद्योगों को इंटेंशनली बीमार किया जाता हो, जहां उद्योगों को बीमार किया जाता हो, जहां उद्योग लगाने वाले खद उनको इस प्रकार चलाते हों कि वह उद्योग बीमार हों और उसी में उनकी स्वार्थ सिद्धि हो तो वहां औपचारिकता की बात मात्र एक निरर्थक बात सिद्ध होती है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बी.आई.एफ.आर. को टीप देने की बात इस बिल के अंदर कही गई है । मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं मंत्री जी को कि कुछ न होने से कुछ होना ठीक है । लेकिन मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि बी.आई.एफ.आर. की जो कार्य प्रणाली है, जो कार्यविधि है और उससे जो राह मिलनी चाहिए वह बिलकुल नहीं मिलती है क्योंकि उसके अंदर जितने भी उद्योगों से संबंधित पक्ष होते हैं, चाहे मजदूर हों, चाहे बैंक हों, चाहे मालिक हों, चाहे राज्य सरकारें हों या केन्द्रीय सरकार हो, उससे संबंधित पक्षों से बात करके उसने यह प्रयास किया है कि सभी पक्ष उस बीमार उद्योग के बारे में सेक्रिफाइस कर सकते हैं, अपनी तरफ से वे क्या कंट्रीब्यट कर सकते हैं और सभी पक्ष इस पैकेज के लिए तैयार होंगे तो उस बीमार उद्योग को चलाने और चलवाने के बारे में सिफारिश दे सकता है। सिवाय इसके बी.आई.एफ.आर. के पास उसे चलाने के लिए और कुछ भी नहीं है । लेकिन यह बात अपने आप में विरोधाभास लगती है कि सभी पक्ष जो उस उद्योग से संबंधित हैं क्या इस चीज के लिए राजी हो सकते हैं कि वह सेक्रिफाइस करें ? अगर राज्य सरकार का बाकी हो, केन्द्र सरकार का बाकी हो माना कि सरकार उसके लिए राजी हो जाएगी लेकिन जो बैंक हैं जिसका उसके ऊपर लोन बाकी है यह जरूरी नहीं है कि बैंक उसके लिए राजी हो जाए । इसी तरह से मजदूरों का जो पेमेंट बकाया है तो यह जरूरी नहीं है कि वह उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं या उस बीमार उद्योग को चलाने के लिए अपनी तरफ से कुछ दें ।

कोई मदद दे या कोई सहायता की व्यवस्था करे और सबसे बड़ी जो बात इसके अंदर है वह यह है कि जब कोई मामला बी.आई.एफ.आर. में चला जाता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बी.आई.एफ.आर. में जाने के बाद वह उद्योग तो बंद है और बी.आई.एफ.आर. बड़े आराम से उसकी डेट्स निकालता है साल, दो साल, तीन साल, चार साल में उसका फैसला करता है लेकिन वह इस बात की नहीं सोचता कि यह मामला बी.आई.एफ.आर. में जाने के बाद वहा जो मजदूर काम कर रहा है उस मजदूर की तनख्वाह बंद हो गई है, उस मजदूर की मजदूरी बंद हो गई है । अगर 5 साल वह मामला बी.आई.एफ.आर. में चलेगा तो उसकी तनख्वाह कौन देगा, उसका पेट कौन भरेगा । इसको न तो बी.आई.एफ.आर. सोचता है और न सरकार सोचती है, न मालिक सोचता है ।

मैंने शुरु में कहा कि जो उद्योग स्वत: बीमार हों उनका तो इलाज किया जा सकता है लेकिन जिन उद्योगों को जान-बूझकर बीमार किया जाता है अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए, चाहे सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, चाहे लोन प्राप्त करने के लिए, उन सबकी प्राप्ति के लिए उद्योग लगाएंगे, फिर बीमार करेंगे और फिर बी.आई.एफ.आर. तक पहुंचा देंगे ।

[डा० अबरार अहमद]

वहां उस उद्योग के बीमार होने पर बी.आई.एफ.आर. में पहुंचाने के बाद मजदूर का जो वेतन बंद हो जाता है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी क्या सोच सकते हैं? चार साल अगर वह मामला बी.आई.एफ.आर. में पड़ा रहा तो चार सालों तक मजदूर का क्या होगा, जो उस उद्योग के अंदर काम करता था। उसको मजदूरी कौन देगा? उसके बच्चों की फीस कौन देगा? उसके बच्चों को कपड़ा कौन देगा? मैंने इस संबंध में कई बार इस सदन के अंदर इस बात को उठाया है क्योंकि मैं उस जगह का रहने वाला हूं, सवाई माधोपुर का, जहां एक सीमेंट फैक्टरी थी, जो किसी जमाने में एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्टरी हुआ करती थी। वह बीमार उद्योग के रूप में बंद हुई। बंद होने के बाद उसका मामला बी.आई.एफ.आर. में आया और बी.आई.एफ.आर. में आने के बाद वह मामला चलता रहा। मैंने इसे इस सदन में कई बार उठाया। अलग-अलग प्रधानमंत्री आए, उनको मैंने कहा। उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में मैं था, वहां मैंने कहा लेकिन साढ़े चार, पौने पांच साल तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ और वहां के जो मजदूर थे, पांच हजार मजदूर थे, मैंने अपनी आंखों से उनकी हालत देखी है।

उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, उन्होंने स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया, बीड़ियां बनाना शुरु कर दिया। पत्ते लाना शुरु कर दिया, लकड़ी काटना शुरु किया। जो बच्चे स्कूल-कालेज में पढ़ा करते थे, उनकी पढ़ाई छूट गई। भुखमरी से लोग मरने लगे। बीमार होने पर दवा न होने की वजह से लोग मरने लगे और उनकी हालत ऐसी कंगाली की हो गई कि मैं बयान नहीं कर सकता। इस तरह उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब भी यह सवाल पूछा, चाहे संसद के अंदर पूछा, चाहे संसदीय सलाहकार समिति के अंदर पूछा, चाहे प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर पूछा, चाहे उद्योग मंत्री को पत्र लिखकर पूछा, मुझे एक ही जवाब मिला कि मामला बी.आई.एफ.आर. में चल रहा है। न मालूम कितने ऐसे उद्योग हैं जो बीमार होकर यहां आए होंगे, लेकिन उन पांच सालों में उस मजदूर की जो हालत हुई, वह मैं आपको बता नहीं सकता।

तो माननीय मंत्री जी बी.आई.एफ.आर. के अंदर जो बाद आएंगे और जितने समय तक वे बाद चलेंगे, क्या आप अपने बिल के अंदर या इस बिल में नहीं तो आगे किसी आने वाले बिल में ऐसा प्रावधान करेंगे कि जब वह बाद बी.आई.एफ.आर. में जाता है तो उस समय में भी उस मजदूर की रोजी-रोटी चलती रहे, उसे बच्चों को पेट भरने के लिए कुछ मिलता रहे, उसके बच्चों को स्कूल-कालेज जाने की फीस मिलती रहे। अगर इस तरफ से आपका बी.आई.एफ.आर. बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा रहेगा तो उन बेचारे मजदूरों का क्या होगा?

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो भी सुधार आप इस बिल के माध्यम से बी.आई.एफ.आर. में करना चाहते हैं उसका तो स्वागत है लेकिन जो एक पक्ष और बी.आई.एफ.आर. के अंतर्गत किसी भी उद्योग से संबंधित जो दूसरे पक्ष हैं, चाहे मैंने उसमें गिनाया बैंक, चाहे मैंने उसमें गिनाया राज्य सरकार या केंद्र सरकार, चाहे उसके अंदर उस उद्योग का मालिक, उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन एक मजदूर पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि कोई उद्योग अगर बीमार हो जाता है तो उसके कारण से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वह मजदूर होता है। क्या बी.आई.एफ.आर. उस मजदूर के पक्ष को भी सोचेगा और जितने दिन उस उद्योग के बंद होने के बाद बी.आई.एफ.आर. के अंदर वह बाद चलेगा, उतने दिन उस उद्योग के मजदूर की आजीविका कैसे चलेगी, क्या उसको मालिक पैसा देगा या सरकार देगी या बैंक देगा या किस प्रकार से उसकी सहायता की जाएगी। क्या इस संबंध में आप इस बिल में या आने वाले बिल में आप विचार करेंगे, कुछ प्रावधान रखेंगे?

इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

SHRI S. MADHAVAN (Tamil Nadu): Sir, I welcome this Bill. The powers of the Board are being enlarged by this new Bill. There has been a long-pending request from the Board to enlarge its powers so that they can implement their schemes to revive the sick units because the Board had always found it difficult to frame schemes and implement them because if lack of powers.

The success of the schemes fromed by the Board will depend upon the financial concessions agreed to be given by the financial institutions and the concerned State Governments. And the delay in implementing the concessions agreed to by those financial institutions will also lead to difficulties in implementing the schemes framed by the Board. The main cause for failure in reviving the sick units are the non-cooperation of the financial institutions and the edlay in sanctioning tax cincessions by the State Governments.

Generally, the workers are blamed by some sections. But it is not true. The Board itself has commented in its report that the workers are, generally, very cioperative; labour is the one party which makes the maximum sacrifice. So, there is no use of the Central Government throwing the blame on the trade unions or the workers. The genrael policy is to see the public interest, the employment of the workers and the development of the backward areas where these sick industries are located. There were hte guidelines for the Board to take up the revival of the sick units.

Sir, I have given notice if some amendments. I don't move those amendments but would ask the Minister to consider certain amendments which are against the basic principles of theprincipal Act itself.

Section 3(1) is being amended to reduce the period from seven years to five years. I don't know what the rationale behind fixing the number of years to decide the sickness is. The provision in the principal Act for determining the sickness of an industrial company is seven years. Now it is being reduced to five years. What is the rationale behind this reduction from seven to five years? What is the significance? I think this period of seven years or five years is not at all required. The Board has commented—and I quote the Board's report:

> "In capital intensive industries where the incidence of depreciation is quite heavy, ni the initial years it is quite possible for a company to erode its net worth completely in less than five years. A good number of cases referred to the BIFR are virtually mortuary cases."

So, there is no use of referring the cases to the Board as a post mortem operation. Therefore, I request the Minister to consider entirely dropping the period of seven yeas or five years and give the discretion to the Board. While they decide about the sickness, they must take action under the Act.

Another amendment is that of section 8. The Minister's intention is to elarge the powers of the Board. But by this amendment, the Minister is taking away the existing powers of the Board. The Board and the Appellate Authority may appoint such other officers and employees as may be necessary, according to the rules prescribed by the Government under the Act. But now the Minister wants to take away that power and entrust to the Central Government the work of sanctioning the posts required for the Board. Why does the Minister want to curtail the power, take away the existing power of the Board? It will further slacken and delay the functioning of the Board itself. So, I request the hon. Minister to consider deletion of this amendment so

[Shri S. Madhavan]

that under the eixisting provision itself the Board will have the power to create posts because the Minister knows, of course, that it is very difficult to get sanction of new posts from the Finance Department. I think it it will go against the intention of the Minister.

Another section, section 18, deals with preparation and sanction of schemes. The Minister has brought one amendment which goes against the principal Act. What is the purpose of this amendment? The original Act says:

> '...providing for any one or more of the following measures..."

What are the measures?

> "the reconstruction, revival or rehabilitation of the sick industrial company;"

But, now the Minister wants to restrict the ambit of the section. The amendment says only:

> "the financial reconstruction of the sick industrial company;"

Why does the Government want to restrict the power? You are conveying a wrong signal to the working class by this amendment.

I want to bring to the attention of the hon. Minister the fact that the Minister who piloted the principal Act on the floor of Parliament, the then Finance Minister, has stated very clearly, "Rehabilitation is the main plant of this Bill." But now the present Finance Minister wants to take away the Rehabilitation Board from this Act. I do not know the purpose. This will convey a wrong signal. No purpose will be served. So, the amendment shoud be dropped. I request the Minister to consider this aspect.

श्री शिव प्रताप मिश्र (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 1992 पर जो चर्चा करने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बडी प्रसन्नता हुई कि हमारी सरकार ने सार्वजनिक रुग्ण प्रतिष्ठानों को स्वस्थ करने की प्रक्रिया में जो कदम उठाया हैं, इस बिल को लाकर, उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और श्री दलबीर सिंह जी जो हमारे राज्य वित्त मंत्री हैं, उनको हृदय से अपनी बधाई देता हूं।

हमारे देश में सरकारी आंकडों के अनुसार 25 लाख सरकारी कारखाने है जिनमें से 2 लाख 18 हजार बीमार हैं। इसलिए अगर उनके उपचार के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार पर होती है। और जिस तरह से आर्थिक स्थिति के लिए चाणक्य ने कहा है--

धर्मार्थि काम ..तत्वज्ञो नैकान्त कररुणोभवेत: ।

यदि राष्ट्र में कोई आर्थिक कमजोरी होती है, यदि राष्ट्र में आर्थिक स्रोतों का ह्रास होने लगता है तो उस समय यदि शासन कठोरता से उसके उपचार के लिए नहीं खडा होता है तो उसके लिए शासन ही दोषी रहता है। मैं आपको पुन: बताना चाहता हूं कि इस बिल का जो मैंने अध्ययन किया है उससे पता चलता है कि इसमें तमाम संशोधनों का प्रावधान किया गया है। संशोधन मुख्य तीन प्रकार के है जिनमें पहला है औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन ब्यूरो और दूसरा संशोधन है कि पहले विद्यमान अस्पष्टताओं को दूर करके उसे और अधिक समरस बनाने हेतु संशोधनों और तीसरे इसमें क्षेत्रीय अधिकारों संबंधी संशोधनों है। पहले संशोधन की बात ध्यान में रखने के बाद मैं समझता हूं कि उपरोक्त संशोधनों से जहां बीमार ईकाइयों को पुनर्जीवन प्राप्त होगा वहां पहले हमारी औद्योगिक नीति में जितनी खामियां हैं वे भी दूर की जाएगी।

इस बिल में धारा 3 का जब मैंने देखा तो उससे मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता हुई कि जो अस्वस्थ कंपनियों, प्रतिष्ठानों की अवधि सात साल की थी, उसको पांच साल कर दिया गया । धारा 3 की उपधारा से बीमार कंपनी की संशोधित परिभाषा सार्वजनिक हित में है । इसी तरह धारा पांच में, मूल अधिनियम में संशोधित धारा को लागू करने से मुझे विश्वास है कि वर्तमान बोर्ड अधिक प्रभावी होंगे और उनके अधिकार भी बढ जायेंगे जिससे उन्हें स्वस्थ करने में विलम्ब नहीं होगा ।

तीसरा, धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार यह संशोधन बहुत ही उपादेय है । बिना एजेंसी या बिना किसी माध्यम के स्वयं अस्वस्थ कंपनियों के विषय में कार्य निष्पादन किया जा सकता है और अविलंब ही उनको स्वस्थ किया जा सकता है । धारा 18, 19, 20, 21, 22 के प्रस्तावित संशोधन सराहनीय हैं । इन संशोधनों के माध्यम से मूल अधिनियम की विसंगतियां तथा और भी जितने सदेहास्पद प्रावधान हैं, उनको दूर किया गया है । सार्वजनिक प्रतिष्ठानों जिस तरह से रुग्ण हैं, यदि वे स्वस्थ हो जायेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ होगी । इसमें वास्तविक स्थिति क्या है कि किसी भी उद्योग में प्रवेश करने के लिए सभी उद्यमियों को उससे संबंधित सभी बातों पर ध्यान देना होता है । जो हमारे प्रतिष्ठान रुग्ण होते हैं उसके कारण होते हैं, पहला तो स्थानीय जमीन की स्थिति और दूसरा उद्योग का प्रकार, तीसरी पूंजी, चौथा कच्चामाल, पांचवां मशीन और साधन, छठा मजदूर, सातवां तैयार माल और बाजार और जो उद्योग या प्रतिष्ठान लगाने वाले इस क्षेत्र में आते हैं उनको यहाँ कई विसंगतियों के बीच में होकर गुजरना पड़ता है जैसे उत्पाद शुल्क निरीक्षण, औद्योगिक निरीक्षक श्रम निरीक्षक फैक्टरी निरीक्षक विद्युत निरीक्षक स्थानीय निकाय निरीक्षक, नापतौल निरीक्षक, पर्यावरण निरीक्षक मापक निरीक्षक, विक्रय कर निरीक्षक आयकर निरीक्षक, वित्तीय संस्थायें और बैंक, इन सब विसंगतियों से, इन सब संस्थाओं से होकर वह उद्योग लगाता है । लेकिन इतना करने के बाद जब वह उद्योग लगाता है, जो मैं यह कह रहा हूं कि इसमें अगर सरकार से, शासन से, स्थानीय निकायों से उसे पूरा सहयोग न मिला तो उस के बीमार होने के बहुत अवसर रहते हैं । मैं यह नहीं कर रहा हूं कि केवल इसी से होता है जो मिलें रुग्ण होती है । मैं यह भी कहता हूं कि रुग्ण होने का कारण जो प्रतिष्ठान लगाने वाले हैं, जो हमारे देश के पूंजीपति हैं, इसमें उनका भी हाथ होता है । मैं आपके उदाहरणार्थ बताना चाहता हूं कि मैं ऐसे लोगों को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उनके परिवार में झगडा हुआ और इन प्रतिष्ठानों के लगाने वाले परिवारों ने, जो धन उन्होंने सरकार से लिया था, उस धन को निकाल कर दूसरी जगह लगा दिया और वे प्रतिष्ठान पिट गए । तो मैं समझता हूं कि यह राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है । तो इसमें अगर सरकार कोई नियत्रण प्रक्रिया प्रारम्भ न करती तो इसके लिए सरकार ही दोषी होती । इसलिए सरकार ने जो इस प्रक्रिया को शुरु किया, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और इसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं ।

दुखस्य मूल धर्मः
धर्मस्य मूल अर्थः
अर्थस्य मुल रजयम, —चाणक्य ।

तो जो समाज में दुख है, वह इन आर्थिक विसंगतियों से ही है । मैं अभी दो-तीन दिन पहले इसी विधेयक के ऊपर जब पढ रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वह बात मेरे सामने आयी कि जो हमारे रुग्ण संस्थान हैं, उनको चलाने के लिए यदि हम लोग कहीं दूसरी जगह से ऋण लेते हैं तो हम राष्ट्र के ऊपर काफी बोझा डालते हैं । इसलिए इससे हमें मुक्त होना चाहिए । उन्होंने समाज के विषय में भी कहा था कि :

"economic backwardness is the cause of social backwardness. We want to put an end to all those infiniett divisions that have grown

[श्री शिव प्रताप मिश्र]

up in our social life. We may call them by any name you like. Casteism etc. They are backward in many ways — economically, socially and educationally."

जब आर्थिक विषमता होती है तभी संघर्ष होता है। यह आदिकाल से ले कर आज तक है। यहां कोई जन्म से पहले सिद्धान्तों के अनुसार न कोई जाति थी, न कोई धर्म था। मैंने ऋगवेद काल से अध्ययन किया तो उसमें एक ही चीज़ ही हुई थी कि–

हिरण्यगर्भः समवर्तग्रे
भूतस्य जास्य पतिरेक आसित।

समस्त सृष्टि के उद्भव का कारण हिरण्यगर्भ था। पुनः जब मैंने महाभारत काल का अध्ययन किया तभी मैंने उसमें पाया–

चातुर्यवर्ण्यमया सृष्ट्रवा गुण कर्म विभागशः

जन्म जिसका हुआ है वह उसके कर्म और गुण के आधार पर उसका निर्धारिण हुआ है। जहां पर आर्थिक स्थिति से व्यक्ति ऊंचा रहता है वहां उसका समाज में अपमान नहीं होता है। आज भी मैं देखता हूं यहां पर इस सदन में और उस सदन में भी बहुत से लोगों को मैं जानता हूं। हमारे कई मित्र हैं मध्य प्रदेश के जिनके संबंध हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। जैसे खैरागढ़ हिज़ हाईनेस थे, सारंगगढ़ हिज़ हाईनेस थे, त्रिपुरा की महारानी सांसद है। यह लोग ट्राइबल हैं लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी ऊंची है कि सामाजिक दृष्टि से जो उच्च परिवार हैं उनके यहां इनके संबंध हैं, वैवाहिक संबंध हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति में हम लोगों के जब तक प्रतिष्ठान ठीक नहीं रहेंगे तब तक हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, तब तक हमारे समाज में समानता नहीं आ सकती है। इसी को मैं अध्ययन कर रहा था। दार्शनिक प्लेटो ने कहा था जिसमें उन्होंने समाज की तुलना मनुष्य के शरीर से की थी। उसने कहा जैसे शरीर में एक अंगुली के कट जाने से पीड़ा होती है उसी तरह से समाज में यदि कोई वर्ग नीचा रहता है तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रहता है तो हमारा समाज स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। उसमें प्रतिष्ठान का बड़ा सहयोग रहता है। इसको दूर करने के लिए जो दुख है, जिससे पीड़ा हो और जो सुख है जिससे सुविधा प्राप्त हो, इसको ध्यान में रखने के लिए ही हमारे राष्ट्र का दर्शन था।

अष्टादस पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्
परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीडनम्।

इसका सार था कि दूसरों को जितने हमारे साथी हैं और जो भी प्राणी हैं उनको पीड़ा न देना। यह सब से बड़ा धर्म है। लेकिन आज समाज में जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, वह पीड़ा का ही भागी हो रहा है। उसको सुख कहीं नहीं है। इसलिए हमारे दर्शन में रतिदेव ने कहा था–

नाहमम् कामये राज्यम् ना स्वर्गमन दुर्भवाम,
कामये दुःख तप्तानाम् प्राक्रिनामार्तिनाशनम्।।

मैं न राज्य चाहता हूं, न स्वर्ग चाहता हूं, मैं दुःखी प्राणियों की पीड़ा से मुक्ति चाहता हूं। इस सिद्धान्त को देखते हुए मैं यह सोच रहा हूं कि यह जो विधेयक आया है, यह अच्छा है। लेकिन इसमें इस बात अन्य साथियों ने कही है कि बिल को लाने से बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी के लिए भी इसमें एक प्रावधान दिया हुआ है कि इसमें सरकार पुनर्वास फण्ड बनायेगी। जो उद्योग रुग्ण हो गये हैं, उनको स्वस्थ करने की बात की जाएगी। लेकिन जो उद्योग नहीं चल सकते हैं, उन उद्योगों के जो कर्मचारी हैं उनको पुनर्वास फण्ड से दूसरे कारोबार दिये जाएंगे। इस कार्य से उनको बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल में हमें ऐसी कोई कमी नहीं लगी जिससे यह आर्थिक स्थिति न सुधर सके। अभी हमारी आर्थिक नीति में काफी बदलाव आया है। उसमें हम लोगों ने कहा कि जो उद्योग नहीं चल सकते

हैं उनको निजीकरण में दे दिया जाए, प्राइवेटाजेशन में दे दिया जाए या उन्हें स्वस्थ किया जाए। यदि स्वस्थ न हों तो उनको बंद कर दिया जाए।

श्री शिव प्रताप सिंह (क्रमागत): तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि समाज में आर्थिक दृष्टि से आप उसका उत्थान नहीं करेंगे तो वह वन में रहना तो कबूल कर लेगा लेकिन आपके समाज में अपमानित होने के लिए जीवित रहना नहीं चाहेगा। इसकी भी एक उक्ति थी:

वरवनं व्याघ्र गजेन्द्र सेवितम्,
द्रुमालयं पक्कफलाम्बु भोजनम्
तृणानिशय्या परिधान वल्कलम्,
न बन्धु मध्ये धनहीन जीवनम्॥

मैं पेड़ के नीचे, समाज का सम्मानित, आपके ही परिवार का व्यक्ति, रहने के लिए तैयार हूं और वृक्षों के फल को खाकर जीवित रहने के लिए तैयार हूं और वस्त्र के रूप में पेड़ों की छाल पहनने के लिए तैयार हूं—अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे भाग हैं जिनमें इस तरह के प्राणी रहते हैं, इसी तरह से खाते हैं, इसी तरह से वस्त्र पहनते हैं परंतु उस समाज में जब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, कोई रोजगार नहीं मिलता है, उनको सम्मान नहीं रहता है तो वे इस असमानता से विक्षुब्ध होकर दूर ही रहना चाहते हैं।

इसके लिए और भी मैं सुझाव देना चाहता हूं मंत्री जी को कई उद्योगों को मैं जानता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं...(**समय की घंटी**) मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

गोरखपुर में एक खाद का कारखाना है। यह करीब दो साल से बंद पड़ा है। इसमें लगभग 2,500 लोग कार्यरत थे। इसके बंद होने से लगभग 5 हजार परिवार तबाह हो रहे हैं। इस कारखाने में यूरिया उत्पादन की क्षमता 900 टन प्रति दिन थी जिसकी कीमत 70 करोड़ रुपये होती है अब इतना ही यूरिया बाहर से मंगाना पड़ता है जिसकी 90 करोड़ लागत होती है। 20 करोड़ ज्यादा होता है। इसके लिए एक कुशल समिति बैठी है जिसकी रिपोर्ट के अनुसार 50 करोड़ रुपये यदि सरकार इसमें लगा दे तो यह 8 वर्ष तक और चलता रहेगा इतना ही बड़ा कारखाना लगाने पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा इसलिए 50 करोड़ ही लगाकर इसी कारखाने को क्यों न चलाया जाए।

दूसरे कारखाने का उदाहरण तालचर उड़ीसा में है। तीसरा कारखाना हमारे माननीय प्रधान मंत्री के आन्ध्र में है और पहला गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तीनों ही फर्टिलाइजर कारपोरेशन के कारखाने हैं और बंद पड़े हैं। परंतु गोरखपुर का कारखाना ज्यादा अच्छी हालत में है। इसलिए गोरखपुर वाले को चलाना चाहिए। वहां रामगुंडम और तालचर वाले को भी चलाना चाहिए क्योंकि रामगुंडम प्रधान मंत्री का क्षेत्र है। क्षेत्र की बात नहीं है। वहां पर जितने लोग बेरोजगार हो गये हैं, इन प्रतिष्ठानों में, उनको रोजी रोटी मिल जाए और वे बेकार न हो सकें, इन सब चीजों का, जो मंत्री जी बैठे हैं उनको सुझाव देते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the sick Industrial Companies (Special Provisions) Act has been there on the statute book for the last six years or so. Many cases were refrred to the BIFR. But, so far, according to the Minister's statement yesetrday; only a little more than 1000 cases have been settled. But the sickness in the industry is all-pervading. More than 2½ lakh units; both small and big; are affected by

[Shri N. Giri Prasad]

sickness or are closed down. Lakhs of workers are thrown out of employment. When that is the State of affairs, the BIFR, under this Act; even if it is strengthened with some more powers, will not be able to solve the sickness in the industry. According to statistics, more than Rs. 10,000 crores of bank credits were locked up in these units. If that capital was free and utilised, some more new industries would have come up. But new industries are not able to come because there is no capital with the banks. And nowadays, the banks are also involved in scams. Another Rs. 4,000 crores have gone somewhere else. So when sick industries are increasing in number and the bank credit is decreasing in quantum, I want to know from the Minister how the Government is going to solve this problem. By bringing this Amendment Bill, by reducing the period of sickness from seven years to five years, it is not going to solve the problem. Even if the BIFR could solve some units and alvise the financial institutions to prop up, that will be possible only in a handful of cases, the sickness a whole cannot be removed. The sickness is caused by various factors; especially with regard to industries there is a lot of cost overruns, time overruns, underutilisation of capacities and more than these things the inflationary pressure on the economy also is causing many problems. Especially cost inputs like raw material and power tariff are causing this sickness. Moreover, bank credit is also not available to many factoies. Without providing working capital from the banks they cannot solve these problems. When all these problems are affecting the industries, causing sickness, the Government wants to solve this problem with this present Bill. So the disease is at one place, the Government wants to solve it at another place! This treatment will not be helpful to the cause of removing sickness. The Government's main intention is to retrench the people. The agenda has been shifted. Many people in the country especially the unemployed are agitating for more jobs, but the Government is unable to protect the jobs. Even in the public sector they want to throw away more than 4½ lakhs. Without that they will not be able to solve them This so-called National Renewa Fund, in fact, is only a national retrenchment fund. The Goverment's intention is also the same. So by retrenching people in the name o voluntary retirement or the so-called Golden Handshake it will not solve this problem. Many Members have also spoken about this. If the working class is removed and is thrown out on the streets, the sickness will affect the Government also. The Government cannot rule by removing the workers from the factories. So the Goverment must change their economic policies. Without changing the economic policies, without trying to produce more wealth and create infrastructure to develop more inlustries and to banish all these time lags and also cost overruns, without solving these problems, the Government will not be able to remove this sickness. The sickness cannot be removed by resorting to scch amendments to the S.I.C.A.

In the end, I want to say if the Government is serious to solve this sickness, it has to sit with the workers There was a mechanism. As far as I konw, in many places there was a tripartite mechanism where workers, leaders or unions and also managements and Governments were discussing how to revive their units how to bring help to those units, how to protect the employment and how to generate wealth. These were the problems before the tripartite committees. In many places workers are very conscious to save themselves and to save the industries also. But the Government want to absolve itself of its responsibility of reviving these units and they want to have a short-cut by throwing these units to

BIFR. The BIFR will sit over them for many many years and we will not be able to solve their problems. Lastly I want to say that this BIFR is just like a court. Without help from the financial institutions and banks they cannot solve their problems. So, ultimately the matter has to be solved by the financial institutions and banks which are controlled by the Government. Therefore, the Government must have a policy. I want to suggest to the Government that they must instruct the financial institutions and banks which have provided capital to these units already to provide more capital wherever necessary for revival and with their participation and involvement to help them and to nurse them to health. If the Government is prepared to do that they will find some ways. If they simply refer these cases of sick industries to the BIFR, they will think over it for many years and they will not be able to solve the problems. The financial institutions and banks also will not take the responsibility for helping them. So, my suggestion to the Government is that they have to change their priorities, they have to change their policies and they have to change their methods also. If the Government is serious they should direct the financial institutions and banks to provide working cipital wherever necessary and increase the budgetary allocation to the public sector. It is only by such methods and with the cooperation of the workers that they can achieve some positive results in terms of saving the present sick industries. Thank you.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): The Bill has been discussed quite at length the Bill concerning the earlier Act on sick industries, to amend the original Act keeping in view the experience that the Government has gained. Non-committal things have been used in explaining the aims and objects of this Amendment Bill. The question is whether this Bill improve the condition of the sick industries. Sick and closed industries are in lakhs in number in India at present. Most of them are private sector industries and quite a good number of them are in public sector. Earlier, in the course of a debate in this House I had an occasion to pose a question to the then Industries Minister that it was our experience that industries had become sick but not the industrialists. Industrialists really thrive at the cost of the industries. The process has never been, not to say reveresed even arrested. The current jargon, a bit colloquial, "upturning Ganesh" in industries and business is a very common practice and the more a business man or an industrialist is upturning Ganesh the more he is reputed as an industrialist in our country. This legacy or this tradition must be ended if you want to end sickness in industries. Much has been made of BIRF. I cannot claim as

3.00 P.M. wide an experience about this organisation as Shri Sunil Basu Ray. But whatever little I did see, it is the feeling of small industries that as soon as they are referred to the BIFR, they are really sent to the mortuary. It really becomes a warrant for their liquidation. Sickness arises out of different factors. It has been discussed usually. The practice is to blame the workers out of hand from the side of the Government, from the side of the industrialists and even from the side of the Press. The question of work culture is raised that in our country work culture has declined. Then as a result the industries are becoming sick more and more. I give you an example. In one organisation workers were prepared to conform to any norm and they agreed to forego any bonus for productivity in order to keep the organisation going. But the administration and the Goverment, both, non-cooperated with the workers. The administration was without any finance officer who could exercise constraint over the expenses incurred in the company. An

[Prof. Saurin Bhattacharya]

appeal was made to the Government so that this thing could be remedied. A competent finance officer was appointed with a regular administration and working capital. That company has an order of more than Rs. 74 crores. Still that is made to be a sick company, a sick industry. If this is done under the direct aegis of the Government how is it possible for us to accept the *bona fides* of the Government? If the original Act was something really a reassurance for the industries, any amendment of it could have been considered in that light. Therefore, this amendment Bill, as is the parent Act, cannot be taken in that light. would fully endorse the demand made by Shri Sunil Basu Ray that this amendment Bill be withdrawn. I would add that the original Act also be held in abeyance and proper steps be taken for improving the condition of the industries throughout the country without listening to the dictates of the World Bank or the IMF and without pining for creating inroads for the multinationals from abroad and monopoly capitalists from our own counrty.

श्री शंकर दयाल सिंह : (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो विचार हेतु यह विधेयक रखा गया है, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 1992, इस संबंध में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, केवल एक पक्ष की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह पक्ष है, इसी के अंतर्गत वह खादी संस्थाओं की अभी जो स्थिति हो रही है, वह केवल खादी संस्थाओं की ही करुण स्थिति नहीं है बल्कि देश की रचनात्मक वृत्ति, गांधीवादी मनोवृत्ति और जिस चरखे को और खादी को लेकर गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसके प्रति सरकार की उपेक्षा की नीति इससे झलकती है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का अविलम्ब ध्यान इस ओर इसलिए आकृष्ट कर रहा हूं कि आप जब रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम में संशोधन की बात ला रहे हैं तो सबसे पहला ध्यान आपका इस ओर जाना चाहिए। विगत एक और दो अगस्त, 92 को दिल्ली में देश भर की खादी संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग दो हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने, राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर जी ने और केन्द्रीय कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी जी ने उन्हें सम्बोधित किया था। आखिर उनकी मांग क्या है? उनकी बहुत सीधी सी मांग यह है कि पिछले दिनों खादी पर जो रिबेट दिया गया था, जो प्रति वर्ष अक्तूबर में गांधी जयन्ती के अवसर पर दिया जाता है, उस रिबेट का पैसा सरकार उन खादी संस्थाओं को देती है। पिछले वर्ष का लगभग 50 करोड़ रुपया अभी भी सरकार के ऊपर बकाया चल रहा है। उस पैसे को सरकार उन्हें नहीं दे रही है, जबकि बार-बार वह इसकी मांग कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ है कि अधिकांश संस्थाओं को 1991-92 की रिबेट की रकम का भुगतान कमीशन द्वारा नहीं किया गया है, जिसमें छोटी और बड़ी इकाई खादी संस्थाओं की बहुत बड़ी पूंजी फंस गई है। इसका खादी उत्पादन, बिक्री और रोजगार, इन तीनों पर असर हो रहा है। अतः उन सभी संस्थाओं ने यह निर्णय लिया है जो कि बहुत ही दुख का निर्णय है कि 31 मार्च, 92 तक के रिबेट क्लेम की रकम यदि 31-8-92 तक भुगतान नहीं की गई तो 11 से 14 सितम्बर, 92 तक चार दिन के लिए पूरे देश में खादी उत्पादन तथा बिक्री केन्द्र बंद रखे जाएंगे। 11 सितम्बर को कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिन का विशुद्धि हेतु उपवास किया जाएगा और अगर इससे भी आगे बढ़कर कार्रवाई करने की जरूरत हुई तो कतीन, बुनकर व कारीगर यह सब मिलकर एक संघर्ष का कार्यक्रम बनाएंगे। मैं सरकार से बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं कि खादी हमारे आजाद भारत की पवित्रता का उद्घोष है। गांधी जी का

सपना इसमें निहित था और खादी संस्थाओं का 50-52 करोड़ रुपया सरकार के पास बकाया हो, इस सदन में यह मामला उठा हो, सरकार ने सदन में आश्वासन दे दिया है, जो सम्मेलन हुआ था उसमें केन्द्रीय वित्त मंत्री और केन्द्रीय राज्य मंत्रियों ने जाकर के आश्वासन दिया था कि उनका भुगतान किया जाएगा और अभी तक भी उसका भुगतान न किया जाना, इससे बढ़ कर के दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है। इसके साथ ही यह भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका खादी कमीशन ठीक ढग से नहीं चल रहा है। इसका अविलम्ब पुनर्गठन होना चाहिए, क्योंकि खादी कमीशन में जो सेवा कर रहे हैं, उसमें बाल विजय जी जैसे लोग, उसमें दूसरे सर्वोदयी लोग और उसमें ग्रोमोद्योग से जुड़े हुए लोग गांधीवादी चिंतन के लोग उसमें लगे हुए हैं। यदि हम खादी संस्थाओं को बकाया राशि को देकर के, रुग्णावस्था को दूर नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिए अगर शर्म की बात है तो इन लोगों के लिए भी चिंता की बात है। सदन इसमें आवश्यक चिंता व्यक्त करते हुए आपसे यह अनुरोध करती है कि जो दुखद उपेक्षा है उसको दूर करते हुए माननीय मंत्री जो दलबीर सिंह जी सरकार की ओर से जब जवाब देने लगेंगे तो वह निश्चित रूप से यह कहेंगे कि एक सप्ताह के अन्दर उनको 52-53 करोड़ रुपया दे दिया जायगा, जिसका मैं सदन में वायदा करता हूं। धन्यवाद।

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): I am unable to undrestand the intention of the Government in bringing this Bill. Is it with a good intention or with a bad intention that this Bill has been brought? In my opinion, good intention means giving more powers to the BIFR for the revival of the sick industries. Bad intention means giving more powers to the BIFR for closing down the sick industries. If it is with a good intention, I welcome the Bill. If it is with a bad intention, then I oppose the Bill. I personally feel that the Government has brought this Bill with a bad intention. The present circumstances have made me to come to that conclusion. Day in and day out, the IMF and the World Bank are pressurising the present Government to close down the sick industries. And the present Government has become a parasite of the IMF and the World Bank. It is going at the beck and call of the IMF and the World Bank. Under these circumstances, I personally feel that this Bill has been brought with a bad intention. Not only that, the Government has introduced a scheme, the Golden Handshake scheme, in which there is neither gold nor shaking hands. So this Bill has been definitely brought with a bad intention only.

Sir, what are the reasons for the sickness of an industry? The reasons may vary from industry to industry. Some reasons may be common. Some reasons may be specific to particular industries. So the reasons for the sickness of these industries should be studied, examined, case by case. In my opinion, it is the Government's policy which is responsible for the sickness of the industries in most of the cases. For example, let us take the case of the Delhi Transport Corporation. No doubt, it is running at loss. But what is the reason? Every year, there is escalation of the prices of spare parts like tyres and the prices of petrol. But there has been no corresponding rise in the fares. This is again because of political reasons. So it is the Government's policy which is responsible for the loss in the working of the DTC. Similarly, in the case of fertiliser industries, because of political reasons, the fertiliser prices have not increased correspondingly with the rising prices of the raw materials. So the fertiliser industries are running at loss. Like wise the BHEL which depends upon the Government for its orders. But the Government places its orders with some foreign companies and does not

[Dr. Narreddy Thulasi Reddy]

give orders to our company, the BHEL. So in most of the cases, it is the Government's policy which is responsible for the sickness of the industries. In some cases, the equipments and the infrastructure are outdated. The management wants to modernise the equipments. But they don't have money because of the wrong policies of the Government and the Government is not giving money. So they are not able to modernise their equipments. So that is also one of the reasons for the sickness of the industries. In some cases it is because of mismanagement. It is not the workers but the mismanagement by the people in charge, which is responsible for the sickness of the industries. But in no case will the Government take action against the management for its mismanagement. In most of the industries, there has been under-utilisation. So these are the main reasons for the sickness of an industry. Here the Government has shifted its entire responsibility to the BIFR. Its main intention is to throw the blame on to the BIFR for retrenching the workers. But what can the BIFR do? Can it sit over the sick indsutries for a longer time? There is a proverb in Telugu *Dongalupadda aarunelalaki kukka moruguthundi* which *means*,

"The dog barks six months
after the robbery."

The BIFR cannot do anything immediately. And meanwhile what will happen? In some cases, the workers may not get their wages or the workers may get delayed wages. In some industries, the workers get their wages without any production. So, this Bill will not serve the purpose. My suggestion is that the Prime Minister should convene a meeting with all the nodal Ministries, with all the nodal Departments to chalk out a package of measures for the revival of the sick industries. This is my first suggestion. The second suggestion is that a Parliamentary Committee should be constituted and this Committee should be asked to study and examine the sick industries thoroughly, case by case, and give its suggestions for their revival.

With these few words I conclude my speech.

SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, I thank you for the opportunity given to me to put forth my views on the Sick Industrial Companies Amendment Bill. I do not intend to indulge in cataloguing the statistical data nor do I wish to comment on the various provisions of the Bill. Yet I have certain pointed comments and suggestion to offer. This amending Bill has been brought in with a view to detecting the industries falling sick for various reasons and to taking effective steps to put such industries back on the track and also to prevent the industries from falling sick through preventive methods. It is therefore, our bounden duty as Members of Parliament to analysis the reasons that make industries fall sick. If an industry—either large, medium or small—whch has been properly managed giving due salaries to the employees, falls sick for reasons beyond its control, it is our duty to protect such industry. There are various reasons for industries falling sick. When new technology, advanced technology is introduced in a particular industry, the old and traditional industries find it difficult to compete with the new one and thus fall sick. Even the price-rise and the inflation drive certain industries to close down. But there are industries that actually earn huge profits with which numerous other industries are established. Later, because of the outflow of profits to other industries that thrive the principal industry is said to incur heavy losses. This artificial loss is to be fool and retrench the workers. Everyone knows this. No one can dispute it. So, though many industries claim to have incurred losses but for a countable few, the industrialists owning such industries are indeed making huge profits.

Thousands of industrialists do not incur any loss. The kind of luxurious life the owners of these so-called sick industrial units lead, confirms my assertion.

Sir, in Japan, industrialists start industries with their own capital banking on their ability. If the industries run into losses, they blame their inability to run the industries and without passing the buck to anyone, they commit suicide. But in India even after such reported losses, the industrialists are as luxurious as before. I do not intend to say that here also the industrialists should commit suicide in case of loss. I am only trying to point out that most of the industries which are shown to be incurring losses here, are actually flourishing in their allied industries elsewhere. Since this fact has been proved crystal-clear, no one including the Minister can deny this. According to 1990 Census, one lakh industries had fallen sick. Now this figure would have substantially gone up. All these industries had received loans from banks-Industrial Finance Corporations amounting to crores of rupees. Many industries have also enjoyed the benefit of subsidy given by the Government. Their investment is very small. These industrialists owe a staggering sum of Rs. 9,400 crores to various lending agencies. Even the assets of these industries like building and machinery are lying idle. What action the Government propose to do? What the Government is going to do? There is no guarantee of reemployment to those workers who are thrown out of these industries. I hope the hon. Minister will enlighten me. So far as the public sector units are concerned, the number of public sector undertakings has grown from five in 1950 to 240 in 1990. BHEL, ONGC, coal mines and steel industries are a part of these public sector units. Of them, 56 have fallen sick. Even those public sector units which claim to be making profits, indeed make meagre profits a few lakhs on an investment of over crores of rupees. This is not a satisfactory situation. The reason for this is the callousness on the part of the administration. The public sector units have the modern technology, advanced machinery and yet they incur losses. What is the reason? This is not because of capital shortage. This is not because of lack of will to work on the part of the workers. The reason is the management is poor and wrought with a lot of *mala fides*. In the case of the private industries, the industrialists are the sole owners and, therefore, they take all care on the earth not to lose their capital. They are serious about earning profits. But, in the case of the public sector undertakings, the investment flows out from the funds collected by squeezing the people in the form of taxes. And, Sir, who are the people who are managing the public sector undertakings? It is the IAS officers and the relatives of Ministers, who have not invested a single rupee in these industries, who are managing them. They are the bosses though they have made no investments and, therefore, they stand to lose nothing. They are not even scared of the Government or the society. They are the parasites who reap rich harvests without sowing anything at all. Sir, with all the force at my command, I would like to say that these imposed bosses are responsible for the sickness and heavy losses in the industries. If I had said this some three months back, my words would have been mistaken for a prattle. But, now, with the explosion of the Krishnamurthy affair in the Securities Scam, I don't need to elaborate it. He was the Chairman-cum-Managing Director of BHEL and SAIL and he was also heading the holy Maruti Udyog. For the perfect work he had done in all these industries, by belching crores of rupees, our Prime Minister, Mr. Narasimha Rao, rewarded him with the membership of the Plannig Commission. But the foolproof plans and schemes of Mr. Krishnamurthy were not known even to the Prime Minister. But now the people,

[Shri J. S. Raju]

the common people, have come to know about him.

Sir, only such bandicoots are heading the public sector units, only some Krishnamurthy's are caught while others go scot-free and go about their work unnoticed because of their manoeuvring skill.

Sir, there is the Neyveli Lignite Corporation in Tamil Nadu. Lignite is produced there. Electricity is generated there with good results. The NLC is earning an annual profit of nearly a hundred crores of rupees. But here I would like to say that the NLC administration is not above board. Since I had the opportunity of being an MLA thrice from that area from the then ruling DMK Party, I know what is happening there. There is corruption and there is misappropriation of funds in all their shades. Yet it earns profits. But what happens in Bihar? There is good-quality coal in Bihar and it is available in plenty. But the coal mines have been showing losses. Why? The reason is simple. There only the sky is the limit for looting! What answer the Ministers have for this? Will you take these mines under the BIFR? What action has the Government has taken to check corruption and rectify the administration. Did the Government at least call the trade union leaders or the workers for talks? Was the matter ever discussed in Parliament? I don't think the Government had time to do all these things. I hope it will now make some constructive efforts. It is time the Government realised the seriousness of the stituation and prevent the industries from falling sick. Only if you trace the reasons for the disease or disorder you can give effective medicines. The Board of universal man, the great poet, Tamil Thiruvalluvar, two thousand years ago said that know the disease and trace the source for an effective cure and everlasting bliss.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): You please conclude now.

SHRI J. S. RAJU: I want to say something more, Sir.

So, this should be the attitude of the Government. In this context, I have to offer some suggestions.

Instead of following the beaten track of procuring new machines and givig loans, it is better to talk to the employees and ask them for the reasons for the loss. I think they will have better things to say. If the production suffers because of the employees, you may call them and say that they have to work hard and put in more efforts. But you tell them that the industries must be closed down or their salaries should be reduced because of losses, you just see their reaction. I want the Government to try this method. If the trade unions and workers come forward to run the industries, they should also be allowed to run the

industries. Palatial residences, cars and such luxuries are enjoyed by the officials of the public sector. A lion's share of the fund is going waste this way. In addition, the officials have many ways of making quicks bucks. So far, there is no monitoring committee, as my friend, Dr. Thulasi Reddy has said to over-see the functioning of the public sector and to check corruption.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please conclude now. You can pass on the papers to the Minister. He will....

SHRI J. S. RAJU: Just one minute, Sir. I demand that a Committee should be set up to monitor the functioning of the public sector. The Committee should consist of MPs and MLAs and such person who represent the varied interests of people. The industries is a constituency can be placed under the supervision of an MP. Sir, I have no connection with the BHEL which is in my district, I have gone there only a few times. But it is not possible for me to meet them very easily. Even the ruling party MPs do not have any say in these public sector undertakings because the Ministers have a direct contact with the officials there. I think, this is the most vital point to be noted. That itself is corruptible. As representatives of people, as Members of Parliament, we want to review the functioning of the industries. This genuine demand should be accepted. Otherwise, the amending Bill will be of no use. Sir, just like post mortem report which will describe the cause of death, the BIFR will produce only a volumnous/ statistical data in its report. And nothing more will come out of this Bill. Therefore, I urge upon the Government to take all the needy steps to safeguard the so-called sick industries.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the subject of sick industrial companies and the issue of their revival and rehabilitation is one of the most important economic issues confronting our nation today. The Government, in 1985, came out with a Bill, the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Bill, and this Parliament made it into an Act. Under this Act, the Board of Industrial and Financial Reconstrucion was constituted. Now, in 1992 the Government has come back to this House with a stated objective to enhance the effectiveness of this BIFR. We are very soon going to support the passage of this Bill into an Act also.

Sir, the point I am trying to make is that this Parliament has not lagged behind in supporting the Government in framing the legislation, givig it powers to deal with the problem of sickness in the industrial companies. The failure has not been at the level of the Parliament. The failure has been at the level of implementation. The BIFR that was constituted under the Act has failed to deliver the goods. Sir, if you see the very objective of the earlier Act, it said that this BIFR was supposed to be a single-window agency to examine all the matters concerned, and to provide remedies at one point. And that was the reason why this BIFR was given enormous powers, Except matters relating to FERA and the Urban Land Ceiling Act, it had all the powers to bypass all other judicial courts, and to take decisions. The idea was

[Dr. Janendra Kumar Jain]

that all lengthy judicial procedures should be cut and that there should be one agency which would take an overall view of the whole problem and take decisions and provide relief. I am very sorry to say, Sir, that this has not happend. Now, the BIFR has also taken in its ambit, public sector undertakings also. If we see the powers of this agency today, we find that it is the single nodal agency and the volume of assets which are now at its disposal is enormous. The entire purpose was that it would ensure speedy functioning and that is one thing which is not taking place at all. What is the purpose of having this Board? What is the purpose of having this sort of Act if the very purpose of speedier disposal of the issues concerned cannot be served by the BIFR? It defeats the very object of setting up this agency. It takes a long time to decide the cases.

I would like to ask the hon. Minister one question. But before I do that, let me point out one lacuna. The Government has failed even to constitute the Board. Most of the time, there are vacancies in the Board. Are the people not available in this country who are unemployed and who have the requisite qualifications to be on the Board? It is because of the absolutely disinterested and lacklustre performance of the Government that there is a Board which does not function. There are vacancies on the Board. There is no mechanism to monitor the functioning of the Board. What does the BIFR do? Do the members of the Board like to function as overlords like many other members and Chairmen of the companies or do they have the mandate that they have to deliver goods within a certain period?

With your permission, Sir, I would like to put a specific question to the hon. Minister and I would request him to answer, when he replies to the debate. What is the average time frame for the BIFR to dispose of the cases? Unless this is made mandatory and they mean business, they will not be able to dispose of the cases within that time frame. They may increase the number of members on the Board. There is no problem about it. But the cases have got to be taken up and disposed of speedily.

There is one more provision which is becoming self-defeating, and that is the problem of having Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction, called AAIFR. This appellate authority today which is supposed to be dealing with sickness, has become a sick organisation. I have been told that we spend one crore of rupees per annum on the maintenance of the Board of this appellate authority. But what is happening today? There are supposed to be three members. Now one seat to vacant. The Chairman of the Board is retiring this month. And with the remaining one member, this cannot function. Will the Government think of putting two more members there immediately? Or, I suggest you may do away with this Board

and save the expenditure of one crore of rupees a year. Yes, there is a provision, but you can have a further provision that if somebody wants to go in for appeal, a large bench of the BIFR will itself go into it. But the essential thing is that delay in disposal of the issues and cases of the companies that are referred to the BIFR is defeating the entire purpose of the Act.

There is no scope for me and there is no need for me to repeat the points which have been made by other hon. Members. But every Member who spoke in this House made the point that this delay is killing the management, it is killing the workers and it is killing everybody.

One more thing that I want to say here is that the members of the BIFR should be the people who should have a humanistic approach while dealing with the issues of economic development. We want integrated humanism with economic management of this country. Our leader, late Shri Deen Dayal Upadhyay had called it integral humanism. Now, there is the question of the future of the workers, who are left in the wilderness. How do you deal with this question? There has to be a humanistic approach. When I say 'humanistic approach', I would like to make two concrete suggestions here. The first is in regard to the workers. While the issue is getting delayed and delayed and delayed and closure is being considered as one of the options, the workers suffer immensely. I would request the hon. Minister to consider the suggestion that there should be a Central Employment Exchange for the rehabilitation of the workers of these industrial units. There should be a Central Employment Exchange for the relocation of such manpower that would become surplus or redundant, after the reconstruction of the sick industrial units, and these workers should get jobs according to their skill. This is not an impossible thing. If there is a political will, it can be done. This should be given priority while dealing with this subject.

I come to my last point. Sir, it is a question of attitude, the attitude when you are dealing with sickness. I, being a doctor, have a lot of experience of dealing with the problem of sickness. The basis is a patient-friendly attitude. Let there be a serious debate on it. Now, a person becomes sick. Why does a person become sick? Yes. There is indiscretion. There are dietary problems. There are injuries. There are all kinds of problems that develop in the body, resulting in sickness. (*Time-bell rings*) Imagine, a sick person goes to a doctor and the doctor becomes a police inspector. Then, the sickness would get aggravated. The patient instead of revealing, would conceal everything. Therefore, it is a question of attitute. In regard to dealing with the sick units, I would request the hon. Minister to give an advice to the members of the BIFR that the sick units are not to be treated like criminals. They have got to be helped. Help would come from all sides; economic help, financial help, managerial help, technological help. As I said, the most important thing is to adopt a humanistic approach. Kindness and a humanistic approach on the part of the Government is the key to the whole thing.

Sir, this amending Bill would be passed. It would give enhanced powers to the Government. But I would request the hon. Minister to set up some kind of a mechanism whereby the members of the BIFR could be given suggestions by the people of this country through their elected representatives, through Members of Parliament. Let not the BIFR members think that once they are appointed, they are lords unto themselves. They have an accountability to the people of India. If they are not implementing the objectives that are enshrined in this Bill—when it be-

[Dr. Jinendra Kumar Jain]

comes an Act—they have no business to be there. It cannot be called an interference, but a sense of accountability, particularly, in terms of disposal of cases within a timeframe, which is a must. Otherwise this delay would not only kill the management, but the human problem, the problem of workers, would also get aggravated. This is a concern which has been expressed by all parties. This is a concern which has been expressed by every Member who has spoken on this subject.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please conclude.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I hope the hon. Minister would come out with some solutions. May not be right now. May not be just today. But I hope, in the course of its implementation, he would ensure that such kinds of delays are avoided. Thank you.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इंडस्ट्रीयल सिकनेस अमेंडमेंट बिल, 1992 के संबंध में इस सदन में आज बहुत से सुझाव दिये हैं, उनके विचार हमें जानने को मिले हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जहां तक यह प्रश्न है कि रुग्ण इकाइयों को किस तरह से पुनर्जीवित करें, इसके लिए सरकार ने 1987 में बी०आई०एफ०आर० की स्थापना की थी। यह इसलिए की थी कि वास्तव में कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जो पुनर्जीवित हो सकती हैं और कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिनको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। खासकर इस बिल में 3 ही चीजों का ऊपर उल्लेख किया गया है, ज्योरिसडिक्शनल अमेंडमेंट जो क्षेत्राधिकार से संबंधित संशोधन है और पहला है। और दूसरा है अमेंडमेंट टु इन्हेंस द इफेक्टिवनेस आफ द बी०आई० एफ०आर० और इसका थर्ड है एक्ट में, जो कुछ एम्बिग्विटीज विद्यमान हैं, अस्पष्टताएं हैं उनको दूर करने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं इसके साथ साथ माननीय सदस्यों को यह भी आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारा बी० आई०एफ०आर० किस तरह से स्ट्रेंथेन हो, किस तरह से यह काम हो, यह उद्देश्य है।

जहां तक कल श्रीमती कमला सिन्हा ने कहा कि इसके लिए आपरेटिंग एजेंसी कौन सी होगी तो स्पष्ट हमने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमारे बैंक्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीटयूशंस होंगे और जब बी०आई०एफ०आर० में कोई केस जाता है और कोई रेफरेंस के लिए भेजा जाता है तो उसमें बराबर यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो यूनिट्स हमारी बी०आई०एफ०आर० के अंदर जाने वाली हैं या जा रही हैं या इनका प्रारूप और प्रोजेक्ट बन रहा है या उसके रिवाइवल के लिए जो यूनिट्स हमारी आ रही है उनके बारे में वर्कर्रों से, ट्रेड यूनियनों से उसमें पूछा जाता है और उसके साथ साथ मैनेजमेंट को भी जानकारी दी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि इसको गजेट में पेपर में भी दिया जाता है ताकि सभी के विचार आयें, सभी का इसमें पार्टिसिपेशन हो।

जहां तक बी०आई०एफ०आर० की—डा० जैन साहब ने कहा कि—इसकी अवधि क्या हो, इसकी सीमा क्या हो तो जैसे ही केस रेफर होकर आते हैं हम यही कोशिश करते हैं कि साल या दो साल के अंदर ही इसका निपटान हो जाए। एक्ट के मुताबिक तो बोर्ड में 14 मेम्बर्स तथा अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन अभी अध्यक्ष और 8 मेम्बर के पद हैं। 89 से हमने यही कोशिश की कि बोर्ड चार बैंचों में वर्गीकृत हो। चार बेंचों में दो-दो बी० आई० एफ०आर० के मेम्बर्स हैं व वे केसेज की सुनवाई करें। लेकिन अभी तीन बैंचों का गठन हुआ है, दो मेम्बर्स की इसमें कमी है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो कमी है उसे दूर किया जाये। कभी ऐसी अवश्यकता पड़ती है और ऐसे केसेज भी आ जाते हैं जिसमें बी०आई०एफ०आर० का चेयरमैन होता है वह भी जब बैठने लगता है तो उसको

स्पेशल बेंच कहते हैं। हमने खुद यह महसूस किया है ये बैंच केवल एक ही जगह न बैठकर अन्य सिटीज में भी लगें। पिछले समय में लगभग 264 ऐसे केसेज थे जिनकी दूसरी जगहों दूसरे स्थानों में जैसे कलकत्ता, बंबई, मद्रास में सुनवाई हुई है। हम खुद चाहते हैं, और इसके तहत जो तीन बी० आई०एफ०आर० के मम्बर्स होते हैं वे भी और एक हमारी एपीलेट बाडी है, एक दो हियरिंग में अपना निर्णय देते हैं। ये भी ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। मैं पूरी तरह से आप लोगों को आश्वासनों में लेना चाहूंगा इसके साथ जहां तक हमारे मानव साहब ने जो कहा कि क्यों कपनी की अवधि को पांच साल किया जा रहा है। तो मैं यह बताना चाहता हू कि पांच साल इसलिए कि आर०बी० आई० ने कहा कि इसको सात साल ही रखें, जो एस्टीमेट कमेटी है उसने अपना सजेश्चन दिया कि इसको चार साल किया जाए। लेकिन इन दोनों के बीच का पांच साल का प्रावधान इसलिए हमने रखा है कि इस बीच में यह मालूम हो जाता है कि कौन सी निट वाकई में सिक है। यदि इसका समय हम और कम करेंगे तो शायद साल भर भी न चल पायें और इधर पब्लिक सैक्टर का भी पैसा ले लें और कहें कि हमारा यूनिट साल भर में सिक होने जा रहा है। तो इस चीज को देखकर हमने इसको पांच साल रखा है। माधवन साहब ने यह भी कहा कि बी०आई०एफ० आर० ए०ए० आई० एफ०आ र०,में वहां पर दूसरों की भर्तियां या स्टाफ की भर्तियां, खुद उनको पावर होनी चाहिए। यदि उसको अधिकार देते हैं तो केंद्रीय शासन में काम करने वाले कर्म, चारियों अधिकारियों को सुविधाओं से वे वंचित हो जायेंगे, वे फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पायेंगी। इसमें ऐसे अधिकारियों को, स्टाफ को रखने के लिए जिनका वाइडर फील्ड हो, जिनका अच्छा ब्राड विजन हो, मौका मिलेगा और जो सुविधाएं केंद्रीय कर्मचारियों को मिलती हैं वे उन्हें मिलेंगी और जहां तक धारा 18(ए) का सवाल है 'रिवाइवल और रिहेबिलीटेशन" का, इसको अभी हम अपने संशोधन में डिलीट कर रहे हैं। यह वह इसलिए कि इसमें हम फाइनेंशल रीकंस्ट्रक्शन को ही जोर दे रहे हैं, क्योंकि रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन बी आई एफ आर का उद्देश्य है ना कि सिक यूनिट्स को रिवाइव करने का।

इसलिए हम इसे डिलिट करके, इसको हमने फाइनेंशल रीकंस्ट्रक्शन में रखा है। पेज 4 में आप देखेंगे, फाइन 21–22 में थोडी सी वर्डस में गलती थी। इसलिए

"At both the places where they occur" be *deleted.*

मतलब ओरिजिनल ड्राफ्ट में कुछ गलती हो गयी थी। इसको सुधार के लिए यह बिल हम लाए हैं।

इसके साथ ही साथ जहां तक क्लाज 9 है, इस पेज में आप देखेंगे कि लाइन 37–38 है। इसको हम डिलीट इसलिए कर रहे हैं कि जो अमेंडमेंट है, यह बहुत स्पष्ट रूप से कनवे किया जा रहा है कि आपरेशन चालू रखते हुए, जैसा कि डा. साहब ने कहा कि इसको समय सीमायें होनी चाहिए, ताकि समय के अंदर जो हमारे यूनिट्स हैं, इनकी रिवाइवल हो। इसके साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि न तो हम वर्ल्ड बैंक के दबाव में कुछ कर रहे हैं और जैसा प्रधान मंत्री ने और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, जब कभी भी ऐसे उद्योग या इकाइयां, जो रुग्ण होंगी, उनके कर्मचारी या अधिकारी हटाने की बात भी नहीं है।

इसमें नेशनल रेन्यूवल फंड का भी प्रावधान है और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जो बिल है, इसे खास तरह से दो-तीन चीजों के लिए हम लाए है। अभी हरि प्रसाद जी ने भी कहा कि बहुत से यूनिट्स हैं, जो दो लाख से ऊपर के हैं। यह जो हमारे यूनिट्स हैं, यह बहुत छोटे लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयां हैं। इसमें मैं मानता हू दो लाख से ऊपर हैं, लगभग 2,18,828 के लगभग हैं। लेकिन इसमें अपेक्षाकृत पैसा पूंजी अभी लगी हुई है।

इसमें 25 प्रतिशत, 2,427 करोड़ रुपया जो 25 प्रतिशत आता है, लगा है।

[श्रीकलबीर सिंह]

संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जहां तक हमारे जो मीडियम और बड़े प्रोजैक्ट्स हैं, लगभग हमारे यहां का 74 प्रतिशत पैसा इसमें फंसा हुआ है। इसके साथ-साथ इतना ही नहीं कि हम केवल बड़े उद्योग-धंधे पर ही नजर रखें या उनकी रिवाइवल के लिए ही हम सोचें, उनको पुनर्जीवित करने के लिए ही सोचें। हमारी बहुत सी एक्सरसाइजेज है। उसके लिए सिडबी की स्थापना हुई है। उसके तहत ही वह उसको देखता है।

तो इसलिए खास करके यह जो हमारा संशोधन है, वह बहुत संक्षेप में है और खास करके इसमें तीन चीजों के ऊपर हमने जोर डाला है और इसमें जो माननीय सदस्यों के सजेशंस आए हैं उसमें भी मैं कहना चाहूंगा—जहां तक शंकर दयाल सिंह जी ने भी कहा कि खादी बोर्ड बहुत जीर्ण होता जा रहा है और खास करके ग्रामीणांचलों के इस उद्योग में बहुत से लोग लगे हुए हैं, शायद सम्मेलन में वित्त मंत्री और हमारे ठाकुर साहब के बीच में बात हुई है, तो उनका मैसेज भी मैं कनवे करूंगा। हम खुद चाहते हैं कि यह जो हमारी रुग्ण इकाइयां हैं, वह ठीक ढंग से चलें और मैं आश्वस्त करता हूं कि बी०आई० एफ०आर० में हम सदस्यों की कमी पूरी करेंगे और जैसा कि जैन साहब ने भी कहा कि इसमें टैक्नोकल पर्सन्स हों, अच्छे जानकार हों और अच्छे इकानोमिस्ट हों, ताकि उनकी जानकारी से यह जो रुग्ण इकाइयां हैं उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है।

तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और यही आशा करता हूं कि वे बिल को, जो प्रस्ताव मैं ला रहा हूं, उसे पास करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The question is:

"That the Bill further to amend the Sick Industrial Companies Special Provisions) Act, 1985, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clauses 7 (Amendment of section 18.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): We take up clause 7. There is one amendment by the Minister.

SHRI DALBIR SINGH: Sir, I beg to move:

That at page 4, lines 21-22, the words "at both the places where they occur" be *deleted.*

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The question is:

That clause 7, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9 (Insertion of new section 19A)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): We take up clause 9. There is one amendment by the Minister.

SHRI DALBIR SINGH: Sir, I beg to move:

"That at page 5, lines 37-38, the words "after a reference is made under section 15 or" be *deleted.*"

सैक्शन 15 से संबंधित इन अमेंडमेंट्स में यह स्पष्ट रूप से कनवे किया जा रहा है कि आपरेशन चालू रखने की व्यवस्था निर्धारित समय में पूरी हो।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The question is:

That at page 5, lines 37-38, the words "after a reference is made under section 15 or" be *deleted.*

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The question is:

That clause 9, as amended stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Clauses 10 to 14 were added to the Bill.

Clause 15 (Insertion of new section 23A)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): We take up clause 15. There is one amendment by the Minister.

SHRI DALBIR SINGH: Sir, I beg to move:

That at page 7, lines 30 to 32, *for* the words "and meet all its financial obligations, and that the company is likely to become increasingly and non-viable in future" the words "within a reasonable time while meeting all its financial obligations and that the company as a result thereof is not likely to become viable in future" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The question is:

That clause 15, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

Clauses 16 to 20 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI DALBIR SINGH: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now we take up Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

Need for comprehensive revision of SC|ST Lists of Arunachal Pradesh

SHRI NYODEK YONGGAM (Arunachal Pradesh): Sir, my Special Mention is very important. It is regarding correction of tribal names in the comprehensive list of SCs and STs of Arunachal Pradesh.

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes list of Arunachal Pradesh was made nearly 41 years ago. In the Part-III of Constitution (Scheduled Tribes): (Union Territories) Order of 1951, only 12 major tribes are recognised as Scheduled Tribes of Arunachal Pradesh. Therefore, to my clear understanding, no serious study was done and the same was made by the then authorities who prepared the list of tribes to be included in the Order. Since, Arunachal Pradesh is a total tribal State, most of the tribes and sub-tribes did not find their place in the list and for that reason many of the tribes which were not included in the list, are denied any kind of benefit and privilege provided by the Government.

The need of the hour is to make a comprehensive review of the list and to include all those tribes and sub-tribes, who are eligible and entitled to be included therein as per the recommendation made by the State Government in 1989.

Through this Special Mention, I would like to appeal to the Central Government to review the entire list of tribes and sub-tribes of Arunachal Pradesh and thereby introduce a Bill in the next Session of Parliament.

Now, I would like to request the Central Government to correct the previous Scheduled Castes and Scheduled Tribes list to include the follo-